



Neutral Citation No. - 2026:AHC: 125387

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 1740 वर्ष 2026

आबिद

.....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता : अली बिन सैफ, दिनेश कुमार यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री अली बिन सैफ और राज्य के अधिवक्ता की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
2. विद्वान एजीए की रिपोर्ट के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 को जारी नोटिस विधिवत तामील कर दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह आपराधिक अपील अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए(2) के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई है। इसमें अलीगढ़ में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट द्वारा ज़मानत अर्ज़ी संख्या 271/2026 (जो मुकदमा अपराध संख्या 385/2025, थाना गांधी पार्क, ज़िला अलीगढ़ से संबंधित है और जिसमें बीएनएस की धारा 69, 115(2) और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(5) लगाई गई हैं) में 19.01.2026 को ज़मानत नामंजूर करने वाले आदेश को रद्द करने और अपीलकर्ता को उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

4. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि अपीलकर्ता बीमार है और लंबे समय से उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता ने अपनी मर्जी से अपीलकर्ता के साथ संबंध बनाए थे और अपनी मर्जी से उसके घर पर रही भी थी। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता और पीड़िता के बीच संबंध आपसी सहमति से बने थे और काफी समय तक चले थे। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता ने कभी अपना नाम या धर्म नहीं छिपाया; इसलिए, पहचान या धर्म छिपाने का आरोप पक्षों के व्यवहार और आसपास की परिस्थितियों के बिल्कुल खिलाफ है और असल में ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता। अधिवक्ता ने जांच के दौरान दर्ज पीड़िता की माँ के बयान की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एफआईआर दर्ज होने से लगभग तीन साल पहले, पीड़िता अपीलकर्ता के साथ अपना घर छोड़कर चली गई थी और परिवार को पता था कि अपीलकर्ता मुस्लिम समुदाय से है। उन्होंने आगे कहा कि वे इस रिश्ते और शादी के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि पीड़िता जाट समुदाय से थी, जबकि अपीलकर्ता मुस्लिम था। इसलिए, यह कहा जा रहा है कि पीड़िता की माँ का बयान उस आरोप को पूरी तरह से गलत साबित करता है कि अपीलकर्ता ने पीड़िता या उसके परिवार के सदस्यों से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपना नाम, पहचान या धर्म छिपाया था। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि न तो शुरूआती लिखित शिकायत में और न ही बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में ऐसा कोई आरोप है। बीएनएसएस की धारा 183 के तहत बाद में दर्ज बयान को अभियोजन पक्ष के मामले का सुधरा हुआ रूप बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर कानूनी सलाह पर दिया गया था, और इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया है कि पीड़िता के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला और कथित घटना का समर्थन करने वाला कोई स्वतंत्र गवाह या अन्य पुष्टिकारक सबूत नहीं है। FIR काफी देरी से दर्ज की गई है, जिसके लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। पीड़िता द्वारा लगाए गए आरोपों को असंगत और विरोधाभासी बताया गया है, और उनकी सच्चाई की जाँच केवल मुकदमे के दौरान ही की जा सकती है। यह भी कहा गया है कि अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 22.10.2025 से न्यायिक हिरासत में है। इन आधारों पर, अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया गया है।

5. इसके उलट, राज्य के अधिवक्ता ने अपील और जमानत की अर्जों का विरोध किया, लेकिन वे इन तथ्यों को नकार नहीं सके: पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंध, जांच के दौरान पीड़िता की माँ का दर्ज बयान और अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास न होना।

6. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद, यह पता चलता है कि अभियोजन पक्ष का मामला ही यह बताता है कि दोनों पक्ष काफी समय से एक-दूसरे को जानते थे। जांच के दौरान पीड़िता की माँ का जो बयान दर्ज किया गया था, उससे पहली नज़र में यह पता चलता है कि पीड़िता के परिवार वालों को पता था कि अपीलकर्ता मुस्लिम समुदाय का है और इस रिश्ते पर उनकी आपत्ति धर्म और जाति के अंतर के कारण थी। पहली नज़र में, रिकॉर्ड *अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।*

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर मौजूद जानकारी से पता चलता है कि अपीलकर्ता और पीड़िता आपसी सहमति से रिश्ते में थे और काफी समय तक साथ रहे थे। पहचान या धर्म छिपाने का आरोप न तो शुरुआती लिखित शिकायत में है और न ही धारा 180 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में; यह आरोप बाद में धारा 183 बीएनएसएस के तहत दिए गए उसके बयान में सामने आया है। अपीलकर्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 22.10.2025 से जेल में है।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, सबूतों की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना का संकेत देने वाली किसी ठोस सामग्री की अनुपस्थिति को देखते हुए, यह न्यायालय इस राय पर है कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

8. अपीलकर्ता **आबिद** को उक्त मुकदमा अपराध संख्या वाले मामले में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार ₹50,000 का पर्सनल बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो जमानतें पेश करे। साथ ही, न्याय के हित में निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी:-

(i) अपीलकर्ता अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा और पीड़ित/शिकायतकर्ता को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुँचाएगा या परेशान नहीं करेगा।

(ii) अपीलकर्ता न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, हर तारीख पर न्यायालय में पेश होगा और मुकदमे के निस्तारण में किसी भी तरह की देरी नहीं करेगा।

(iii) अपीलकर्ता एक अंडरटेकिंग (लिखित वचन) देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह सबूत पेश करने के लिए तय तारीख पर सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की आज़ादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार आदेश दे सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) अपीलकर्ता जमानत की आज्ञादी का किसी भी तरह से दुरुपयोग नहीं करेगा। अगर अपीलकर्ता मुकदमे के दौरान जमानत की आज्ञादी का दुरुपयोग करता है और उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए बीएनएसएस की धारा 84/सीआर.पी.सी. की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और अपीलकर्ता उस उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 209/आईपीसी की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगा।

(v) अपीलकर्ता को विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहना होगा: (a) मुकदमा शुरू होने पर, (b) आरोप तय होने पर और (c) धारा 251 बीएनएसएस/313 सीआर.पी.सी. के तहत बयान दर्ज होने पर। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि अपीलकर्ता जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहा है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को जमानत की आज्ञादी का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है; साथ ही, विचारण न्यायालय सेक्शन 269 बीएनएस/229-ए भारतीय दंड संहिता के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

(vi) विचारण न्यायालय अपीलकर्ता की रिहाई के बाद विचारण को जल्द से जल्द पूरा करने की हर संभव कोशिश और प्रयास कर सकता है।

9. जमानतदारों की पहचान, स्थिति और आवासीय प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाएगा और उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने और अपीलकर्ता को जेल भेजने के लिए स्वतंत्र होगी।

10. इसके अनुसार, अपील सफल होती है और उसे मंजूर किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. अलीगढ़ में विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) अधिनियम, द्वारा 19.01.2026 को पारित विवादित आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है।

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

4 जून, 2026

पीकेएस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।